UPJS010030372021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–२, झांसी।

सत्र वाद संख्या 479/ 2021

(CNR No. - UPJS01- 003037- 2021)

(JO Code- UP6503)

सरकार **बनाम** **मनका आदिवासी**

धारा- ४५२ , ३०७, ५०४ भा०दं०सं०

थाना- मऊरानीपुर , जिला झांसी ।

मु०अ०सं०- ११८/ २०२१

आरोप

मैं **विजय कुमार वर्मा- प्रथम** अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- २, झांसी आप अभियुक्तगण **मनका आदिवासी** पर निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ।

प्रथमः- यह कि दिनांकः- २७. ०२. २०२१ को समय ११. ०० बजे दिन व स्थान पेश दरवाजा मजरूब देव सिंह पाल, ग्राम मैलोनी, अन्तर्गत थाना मऊरानीपुर ,जिला झांसी में आपने वादी मुकदमा श्री मुन्नीलाल के घर में घुसकर हमला करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा- ४५२ के तहत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः- यह कि उपर्युक्त वर्णित घटना दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकमा उपरोक्त के भाई प्यारेलाल के लड़के देवसिंह पाल पर हसिया से जान लेवा हमला कर दिया और हसिया से गला काट भाग गये। आपने उक्त कृत्य ऐसे आशय एवं ज्ञान से किया कि यदि आपके द्वारा किये गये उक्त कृत्य से वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई प्यारेलाल के लड़के देवसिंह पाल की मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने धारा- ३०७ भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपर्युक्त वर्णित घटना दिनांक, स्थान, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई प्यारेलाल के लड़के देवसिंह पाल को लोक- शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली- गलौज देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०दं०सं० की धारा- ५०४ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by Vijay Kumar Verma
Date: 2021.10.21 17:16:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एतद द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के लिये इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांकः- २१. १०. २०२१

(विजय कुमार वर्मा- प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या- २, झांसी।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांकः- २१. १०. २०२१

(विजय कुमार वर्मा- प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या- २, झांसी।

UPJS010030372021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- २, झांसी।

सत्र वाद संख्या- ४७९/ २०२१

(CNR No. - UPJS01- 003037- 2021) (JOCode- UP6503)

सरकार बनाम मनका आदिवासी

धारा- ४५२, ३०७ , ५०४ भा०दं०सं०

थाना- मऊरानीपुर , जिला झांसी।

मु०अ०सं०- ११८/ २०२१

दिनांकः- २१. १०. २०२१

पुकार पर अभियुक्त मनका आदिवासी जिला कारागार से जेरे हिरासत उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने मामले के कथन तथा अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए न्यायालय को यह बताया कि वे किस साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व मामले को सिद्व करना चाहते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय अभियुक्त मनका आदिवासी के विरूद्व धारा - ४५२ , ३०७, ५०४ भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाती है।

अतः अभियुक्त मनका आदिवासी के विरूद्व धारा- ४५२, ३०७, ५०४ भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाये।

दिनांकः- २१. १०. २०२१

(विजय कुमार वर्मा- प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या- २, झांसी।

अभियुक्त मनका आदिवासी के विरूद्व धारा- ४५२, ३०७, ५०४ भा०दं०सं० के अन्तगर्त आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा। पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक २०. ११. २०२१ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-2, झांसी।